न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–14, बरेली।

उपस्थित : ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code. 1574

UPBR010090962023

सत्र परीक्षण संख्या–813/2023(1530/2023)

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

प्रति

1. अभिषेक गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता, निवासी–रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज परिसर, बारादरी, जिला बरेली,
2. कुन्दन लाल पुत्र स्व0 मुरारीलाल, निवासी–बिचपुरी नई बस्ती, बिथरी चैनपुर, जिला बरेली।

..... अभियुक्तगण

मु0अ0सं0: 321/2022,
धाराः 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम–2021(3),
थानाः बिथरी चैनपुर, जिला बरेली

अधिवक्ता अभियोजन पक्ष–श्री सुनील कुमार पाण्डेय,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक),
अधिवक्ता प्रतिरक्षा पक्ष–1. श्री विजय जैन,
2. श्री इमरान खान,

<u>निर्णय</u>

थाना बिथरी चैनपुर, जनपद बरेली, की पुलिस द्वारा, अभियुक्तगण अभिषेक गुप्ता तथा कुन्दन लाल के विरुद्ध, मु0अ0सं0–321/2022, अंतर्गत धारा–3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम–2021(3), विचारणार्थ न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हिमांशू पटेल पुत्र इन्द्र कुमार, निवासी ग्राम सकतपुर, पोस्ट–केसरपुर, बरेली द्वारा, दिनांक 29.05.2022 को इस आशय की तहरीर सम्बन्धित थाना पर दी गयी कि *आज सुबह 7:30 बजे, उसे ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिचपुरी, थाना बिथरी चैनपुर में अभिषेक गुप्ता*

पुत्र राजेश गुप्ता, मूल निवासी गोरखपुर, हाल निवासी रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज बरेली, अपने 8 लोगो की पूरी ठीम के साथ, धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चला रहे है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर, हिन्दू संगठन के 10–15 कार्यकर्ता, थाना पुलिस के साथ, मौके पर पहुंचे तो ममता पत्नी राजेश, निवासिनी ग्राम बिचपुरी, के मकान में हिन्दू धर्म के लोगो को, लोभ–लालच देकर, अभिषेक गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता व 8 लोग धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे है। उपरोक्त मकान के दरवाजे को अंदर से बंद करके प्रार्थना सभा व धर्मान्तरण का कार्य, लालच देकर करा रहे थे। मौके पर लगभग 40 लोग पाये गये। धर्म परिवर्तन कराने वाले 8 लोग व अभिषेक गुप्ता के हाथ में Bible प्राप्त हुई है, वे सभी ईसा मसीह की प्रार्थना कर रहे थे। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद, चौकी इंचार्ज के डॉटने पर, प्रार्थना सभा समाप्त हुई। उपरोक्त मामले में उक्त अभिषेक गुप्ता के विरूद्ध उचित कार्यवाही करना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः उक्त लोगो पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वादी मुकदमा हिमांशू की उपरोक्त तहरीर के आधार पर, दिनांक 30.05.2022 को, समय 18:01 बजे, थाना बिथरी चैनपुर में मु0अ0सं0 321/2022, अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, उपरोक्त अभियुक्त अभिषेक गुप्ता व अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध, दर्ज करते हुए, विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा, घटनास्थल का निरीक्षण कर, दृष्टिचित्र बनाया गया, साक्षीगण के साक्ष्य लेखबद्ध किये गये। दौरान विवेचना, अभियुक्त कुन्दन लाल का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के उपरांत, विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अभिषेक गुप्ता व कुन्दन लाल के विरूद्ध, अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, विचारणार्थ आरोप–पत्र, न्यायालय में प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा आदेश, दिनांकित 19.12.2022 के माध्यम से आरोप पत्र पर विधिवत् प्रसंज्ञान लिया गया तथा आदेश, दिनांकित 04.07.2023 के माध्यम से, प्रस्तुत प्रकरण, विचारणार्थ सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जहॉ यह सत्र परीक्षण संख्या–813/2023 के रूप में पंजीकृत हुआ।

आदेश, दिनांकित 20.07.2023 के माध्यम से, अभियुक्तगण के विरूद्ध, अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, आरोप विरचित किया गया, अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण द्वारा आरोपो को अस्वीकार करते हुए, विचारण की मांग की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से, अभियुक्तगण के विरूद्ध, आरोपित अपराध को, सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्यस्वरूप, निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क0सं0	**साक्षी सं0**	**नाम साक्षी**	**साक्षी का प्रकार**
1.	PW-1	हिमांशू पटेल	वादी मुकदमा

2.	PW-2	अरविन्द कुमार	तथ्य का साक्षी
3.	PW-3	देवेन्द्र सिंह	तथ्य का साक्षी
4.	PW-4	SI कुमदेश त्यागी	विवेचक
5.	PW-5	Dr. फैज शम्सी	विशेषक चिकित्सक साक्षी
6.	PW-6	रविन्द्र कुमार	तथ्य का साक्षी
7.	PW-7	HCP कृष्ण पाल सिंह	प्राथमिकी लेखक
8.	PW-8	SI रजनीश कुमार	विवेचक

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य कोई साक्षी नहीं परीक्षित कराया गया।

अभियोजन की ओर से, निम्नलिखित अभिलेखीय प्रपत्र को प्रस्तुत कर, सिद्ध कराये गये–

क0सं0	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**
1	तहरीर	प्रदर्श क–1
2	दृष्टिचित्र	प्रदर्श क–2
3	चिक FIR	प्रदर्श क–3
4	GD की प्रति	प्रदर्श क–4
5	फर्द लेने कब्जे एक किता किताब पवित्र Bible	प्रदर्श क–5
6	आरोप पत्र	प्रदर्श क–6

आदेश दिनांकित 15.07.2024 के माध्यम से, अभियुक्तगण का अभिकथन अर्न्तगत धारा–313 दं0प्र0सं0, लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। PW-1 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि गलत है, राजनीतिक लाभ व लोकप्रियता के कारण से झूठा व मनगढंत बयान दिया है। PW-2 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि गलत है। राजनीतिक लाभ व लोकप्रियता के कारण से झूठा व मनगढंत बयान दिया है। PW-3 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि गलत है, राजनीतिक लाभ व लोकप्रियता के कारण से झूठा व मनगढंत बयान दिया है। PW-4 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि गलत है। राजनीतिक दबाव के कारण गलत तरीके से विवेचना की है। PW-5 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि गलत है, पुलिस के दबाव में झूठा बयान दिया है। PW-6 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि गलत है। राजनीतिक लाभ व लोकप्रियता के कारण से झूठा व मनगढंत बयान दिया है। PW-7 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि गलत है, फर्जी तौर पर प्रदर्शो को बनाया है। PW-8 के

साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि गलत है। राजनीतिक दबाव के कारण गलत तरीके से विवेचना की है।

अतिरिक्त कथन में अभियुक्त अभिषेक गुप्ता ने कथन किया है कि *मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को लालच, दबाव, प्रपीड़न या अन्य किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन न कराया है और न ही कराने का कभी प्रयास किया है, न ही मैं किसी धर्म परिवर्तन कराने हेतु सक्षम हूॅ। राजनीतिक लाभ व लोकप्रियता के चलते मेरे खिलाफ झूठे, भ्रामक व मनगढंत तथ्यो के आधार पर, गलत तरीके से,* ***FIR*** *दर्ज कर मुकदमा बना दिया गया है और सभी तथ्य के गवाह आपस में एक ही संगठन के व्यक्ति है और दोस्त है, इसीलिए झूठी गवाही दी है। मेरे खिलाफ बनाया गया मुकदमा पूर्णतः झूठा है और विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतो के विरूद्ध है। पूरे मुकदमें में किसी भी व्यक्ति का नाम–पता, आदि, जिसका कथित धर्म परिवर्तन हो गया हो या हो रहा हो, नही आया है क्योकि पूरा मुकदमा झूठा है। इसी तरह किसी भी तरीके के रीतिरिवाज/प्रक्रिया, गतिविधि या अनुष्ठान, आदि का कोई स्पष्ट वर्णन, किसी गवाह ने नहीं किया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मुकदमा पूर्णतः झूठा व असत्य तथा आधारविहीन तथ्यो पर आधारित है। जॉच अधिकारियों ने गलत तरीके से जॉच कर, फर्जी तथा मनगढ़ंत तथ्यो पर आधारित आरोपपत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया है।*

अतिरिक्त कथन में अभियुक्त कुन्दन लाल ने कथन किया है कि *मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को लालच, दबाव, प्रपीड़न या अन्य किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन न कराया है और न ही कराने का कभी प्रयास किया है, न ही मैं किसी धर्म परिवर्तन कराने हेतु सक्षम हूॅ। राजनीतिक लाभ व लोकप्रियता के चलते मेरे खिलाफ झूठे, भ्रामक व मनगढंत तथ्यो के आधार पर, गलत तरीके से,* ***FIR*** *दर्ज कर, मुकदमा बना दिया गया है और सभी तथ्य के गवाह आपस में एक ही संगठन के व्यक्ति है और दोस्त है, इसीलिए झूठी गवाही दी है। मेरे खिलाफ बनाया गया मुकदमा पूर्णतः झूठा है और विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतो के विरूद्ध है। पूरे मुकदमें में किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, आदि, जिसका कथित धर्म परिवर्तन हो गया हो या हो रहा हो, नही आया है क्योकि पूरा मुकदमा झूठा है, इसी तरह किसी भी तरीके के रीतिरिवाज/प्रक्रिया, गतिविधि या अनुष्ठान, आदि का कोई स्पष्ट वर्णन किसी गवाह ने नहीं किया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मुकदमा पूर्णतः झूठा व असत्य तथा आधारविहीन तथ्यो पर आधारित है। मुझे उपरोक्त लोगो व पुलिसवालो ने झूठी गवाही देने का दबाव बना रहे थे, जिसे मना करने के कारण, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया है। मैंने कभी भी हिमांशू, आदि को कोई* ***Bible*** *नहीं दी है। जॉच अधिकारियों ने गलत तरीके से जॉच कर, फर्जी तथा मनगढ़ंत तथ्यो पर आधारित आरोपपत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया है। मैं कोरी समाज का हूॅ।*

अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य निम्नवत् है–

PW-1 हिमांशू पटेल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.05.2022 को मैं हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओ के साथ क्षेत्र में घूम रहा था, मुझे 9:30 बजे के आस–पास सूचना प्राप्त हुई कि चंदपुर, बिचपरी में ईसाई मिशनरी द्वारा प्रार्थनासभा व धर्मान्तरण का कार्यक्रम चल रहा था। मुझे स्पष्ट पता नहीं था कि किसके घर पर चल रहा था। जब मौके पर मैं, अरविन्द पटेल, देवेन्द्र

सिंह, राजीव कुमार व 3–4 अन्य लोग, ग्राम बिचपुरी पहुंचे थे तो पता चला कि ममता देवी के घर में कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी सूचना हमने रामगंगा चौकी को दी, तब चौकी इंचार्ज मय फोर्स मौके पर आ गये, तब हम लोगो ने दरवाजा खुलवाया, जो अंदर से बंद था। जब दरवाजा खुला तो अंदर 30 से 40 लोग थे, जिसमें बच्चे, महिला व पुरूष सभी थे, जिसमें कुछ लोग Bible हाथ में लेकर प्रार्थना करा रहे थे, तब पुलिस प्रशासन ने इसे बंद कराया। वहॉ पर पुलिस द्वारा पूछताछ की गयी। पूछताछ होने के बाद, हमने थाने पर तहरीर दी, जिसमें अभिषेक गुप्ता तथा 7–8 अन्य लोगो के नाम थे। मेरे द्वारा इतनी ही बात हुयी थी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4क/5 ता 4क/6, जो तहरीर है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूॅ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त अभिषेक की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि मुझे पुलिस ने, इस मुकदमें में, कभी किसी प्रकार की धमकी, लालच या दबाव, मेरे बयान में, FIR में, कुछ घटाने–बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, इसलिए मेरे मुताबिक सारी बाते आ गयी थी। **मैंने आज तक न ही धर्मान्तरण किया है, न ही मेरे साथ ऐसी कोई कोशिश कभी हुई है। ये कहना सही है कि मेरी FIR में या मेरे बयानो में आज तक किसी ने मुझे या किसी और को हिन्दू धर्म छोड़ने को बोला हो, ऐसी बात नहीं आयी है।** मुझे अभिषेक गुप्ता की जाति व समाज नहीं पता, फिर कहा, वो गुप्ता है। FIR मेरे मेरे द्वारा नहीं लिखी गयी है, न ही मेरे लेख में है, जोकि मैं तहरीर के बारे में कह रहा हूॅ। 29 मई 2022 को लगभग 10 बजे मौके पर पुलिस पहुंची थी। मैंने पुलिस को फोन कर दिनांक 29.05.22 को मौके पर पहुंचने से पहले, सारी बाते, जो इस मुकदमें के बारे में थी, बता दी थी। मैं जिस संगठन की बात कर रहा हूॅ, वह पंजीकृत नहीं है। **मैं जिन 30–40 लोगो की बात कर रहा हूॅ, उनमें से कोई मेरे पिता, भाई, बहन या रक्त सम्बंधी नहीं थे। उनमें से मेरे किसी भी तरह के रिश्तेदार नहीं थे।** यह कहना गलत है कि मेरी FIR में और मेरे बयानो में कहीं नहीं आया है कि किस–किस व्यक्ति का, कब–कब कोई धर्मान्तरण हुआ हो। **ममता ने मुझे कभी किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया था।** ममता के घर के दरवाजे को चौकी इंचार्ज कामेन्द्र सिंह ने खुलवाया था। मैंने ममता के घर के कमरे को नहीं देखा क्योकि वह चारो तरफ से बंद था। ममता का कमरा बिचपुरी में, मेन रोड पर, पीपल का पेड़ है, उसके दाहिने हाथ की तरफ है। मौके पर अब कुछ कमरा नहीं है। **यह कहना ठीक है कि मेरी FIR में या मेरे बयानो में किसी ऐसे व्यक्ति का विवरण नहीं लिखा है, जिसने पुलिस को कभी यह बताया हो कि उसका कथित धर्मान्तरण किसी व्यक्ति ने करवाया हो।** यह कहना ठीक है कि मेरी FIR या बयान में, कहीं, किसी व्यक्ति का नाम या विवरण नहीं आया है, जिसने मुझे कथित धर्मान्तरण के बारे में बताया हो। यह कहना गलत है कि मुझे कथित धर्मान्तरण के बारे में सूचना न मिली हो, इसी वजह से उस सूचना देने वाले का नाम व विवरण, मेरे बयान व FIR में न हो। मैं हिन्दी व अंग्रेजी, दोनो में हस्ताक्षर करता हूॅ। मैंने तहरीर त्रिभुवन से लिखवायी थी। यह बात सही है कि मैं त्रिभुवन सिंह का नाम आज पहली बार बता रहा हूॅ। यह कहना सही है कि इसी FIR/तहरीर के

कारण, अभिषेक गुप्ता को जेल जाना पड़ा। यह बात सही है कि इसी वजह से अभिषेक गुप्ता व उसके परिवार को मानसिक–आर्थिक परेशानियो का सामना करना पड़ा तथा उसकी नौकरी चली गयी। यह कहना गलत है कि इन सभी वजहो से अभिषेक गुप्ता का कम से कम 50 लाख रूपये का नुकसान हुआ। यह कहना गलत है कि अभिषेक गुप्ता को झूठी तहरीर के कारण हुई परेशानी तथा नुकसान की वजह से हर्जाने के तौर पर, 50 लाख रूपये देने का हकदार हूॅ। मैंने इसके अलावा एक और FIR, धर्मान्तरण की, भगवानदास के खिलाफ तकरीबन 7 महीने पहले की घटना के सम्बंध में की थी। फिर कहा कि पिछले साल नवम्बर–दिसम्बर की थी। मैं उस घटना के बारे में कुछ नहीं बता सकता। उसकी वजह से भगवानदास को जेल जाना पड़ा था। मैंने तहरीर भगवानदास व अज्ञात के खिलाफ दी थी। दिनांक 29.05.22 की घटना के बारे में अखबार में आया था। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नाम अखबार में आने से उसकी Publicity होती है। मैं नहीं बता सकता कि अखबार व Social Media में नाम आने से, मुझे काफी लोग जानने लगे थे। यह कहना गलत है कि मेरी FIR में यह लिखा है कि 8 लोगो से Bible बरामद हुई। ऐसी बात मैंने तहरीर में लिखी है। वादी को तहरीर दिखाकर सामना कराया गया, जहॉ पर लाल दायरा ''X'' में यह बात लिखी है, जिसके पश्चात वादी ने कहा कि अभिषेक गुप्ता व कुन्दनलाल से Bible मिली थी। वो Bible अभिषेक गुप्ता से मुझे कभी नहीं मिली। खुद कहा कि Bible पुलिस वालो ने मेरे सामने दिनांक 29.05.22 को, लगभग 11–11:30 बजे ली थी। यह कहना गलत है कि मैं यह बात आज पहली बार बता रहा हूॅ। घटनास्थल से मेरा गॉव करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अरविन्द पुत्र वेद प्रकाश अधकटा का रहने वाला है, जोकि घटनास्थल से लगभग 09 किलोमीटर दूर रहता है। रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार, सैदपुर का रहने वाला है, जो घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर का है। यह कहना गलत है कि FIR मैंने जानबूझकर, राजनीतिक लाभ व सस्ती लोकप्रियता के लिए, मनगढ़ंत कहानी तथा झूठे व भ्रामक तथ्यो के आधार पर दर्ज करायी हो। मुझसे इस केस के सिलसिले में पुलिस द्वारा पूछताछ दिनांक 29.05.22 को ही हुई थी। हम लोग दिनांक 29.05.22 को, लगभग 2 बजे, थाने पहुंचे थे, जहॉ पर सभी लोग थे। यह कहना गलत है कि हम दिनांक 29.05.22 को थाने पर न गये हो, न ही कोई लिखित तहरीर दिनांक 29.05.2022 को थाने पर दी हो। हम सब 6–7 लोग थाने गये थे और तहरीर दी थी। हमें या किसी को, किन्ही 8 लोगो से, दिनांक 29.05.22 को, कोई Bible नहीं मिली। अभिषेक गुप्ता को पुलिस ने इस मुकदमें के बारे में, दिनांक 29.05.22 को हिरासत में लिया था। मेरे सामने हिरासत में लिया था। यह कहना गलत है कि पुलिस ने दिनांक 29.05.22 को अभिषेक को हिरासत में न लिया हो बल्कि दिनांक 07.10.22 को लिया हो। यह कहना गलत है कि अभिषेक गुप्ता ने कभी कोई कथित धर्मान्तरण का काम नहीं किया हो। ये कहना भी गलत है कि पुलिस ने दिनांक 29.05.22 को कोई FIR दर्ज न की हो बल्कि बाद में अपनी–जान पहचान से अभिषेक गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हो। अरविन्द, देवेन्द्र, रविन्द्र कुमार,

राजीव हम लोग अच्छे दोस्त है। ये कहना गलत है कि हम लोगो से मिलकर झूठा मुकदमा बनवाया हो। ये कहना भी गलत है कि ममता के मकान के पास कोई पीपल का पेड़ न हो। मुझे अभिषेक गुप्ता का कोई Mobile Number नहीं मालूम है। मुझे अभिषेक गुप्ता के Mobile Number के बारे में कभी पता नहीं था। FIR में जो अभिषेक का Mobile Number लिखा है, वो चौकी इंचार्ज ने लिखाया था। ये कहना गलत है कि प्रदर्श क–1 झूठे व भ्रामक तथ्यो के आधार पर, पुलिस से अपनी जान–पहचान का फायदा उठाकर लिखाया हो। मैं आज अरविन्द के साथ अदालत आया हूॅ। ये कहना गलत है कि मैं आज झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त कुन्दनलाल की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मैं कुन्दनलाल को नही जानता हूॅ। मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट कुन्दनलाल के खिलाफ दर्ज नहीं करायी थी। मैंने विवेचना के दौरान पुलिस को कुन्दनलाल का नाम नहीं बताया था। मैं घटना वाले दिन संगठन के साथ, 7–8 लोगो के साथ था। मैंने कुल 7–8 लोगो के नाम तहरीर में नही लिखवाये थे। मैंने अपनी तहरीर में हिन्दू संगठन के लोगो की संख्या कितनी लिखायी थी, याद नहीं है। मैं हिन्दू संगठन के लोगो के साथ, 9:00–9:30 बजे सुबह, एकत्र हुआ था। घटना की जानकारी मुझे 9:00–9:30 बजे मिली थी। फिर कहा, पहले से थी। मैंने तहरीर में 7:30 बजे का समय लिखाया था। जब मुझे सूचना मिली, तब मैं अपने गॉव में था। सूचना मिलने के बाद मैं घटनास्थल पर गया। मेरे गॉव से घटनास्थल की दूरी 20 मिनट की है। जब सूचना मिली, तब मैं अकेला था। बाकी संगठन के लोगो को मैंने फोन करके बुलाया था। सब लोग चन्दपुर, बिचपुरी रोड पर एकत्र हुये थे। पुलिस, हम लोगो के एकत्र होने के बाद, सूचना देने पर, आयी थी। मेरा कोई भी सम्बंधी चन्दपुर, बिचपुरी में नहीं रहता है। मुझे जानकारी नहीं है कि मुल्जिम कुन्दनलाल किस जाति–धर्म का है। मैंने घटनास्थल पर कुन्दनलाल का घर देखा था। मौके पर कोई रूपया, सोना, चॉदी मेरे सामने बरामद नही हुआ था। मौके पर जितने लोग थे, उनके नाम–पते, वल्दियत नहीं बता सकता हूॅ। पुलिस ने मौके पर अभिषेक गुप्ता को गिरफतार किया था। मैंने दिनांक 29.05.22 को थाने पर तहरीर दी थी। पुलिस ने उसी दिन मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया था। ये कहना गलत है कि मैं झूठा मुकदमा लिखाना चाह रहा था, इसीलिए पुलिस ने उस दिन मेरा मुकदमा न लिखा हो। मौके पर पुलिस ने Bible को मेरे सामने बरामद किया था। ये कहना गलत है कि पुलिस ने मौके पर एक भी Bible seize न की हो। दिनांक 29.05.22 के बाद, मैं पुलिस के साथ घटनास्थल पर नहीं गया। गवाह अरविन्द मेरे संगठन के है। दिनांक 29.05.22 को अरविन्द मेरे गॉव ही आ गये थे और मैं उन्ही के साथ घटनास्थल पर गया था। **कुन्दनलाल ने मुझसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा था और न ही मेरे सामने किसी व्यक्ति से धर्म परिवर्तन के लिए कहा था।** तहरीर मैंने थाने में पुलिस को दी थी। घटनास्थल के आस–पास किन लोगो के घर है, मुझे नहीं पता है। मैं घटना से 2 साल पहले से हिन्दू संगठन में सक्रिय था। ये कहना गलत है कि मैंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठी व मनगढंत FIR थाने पर दर्ज करा दी हो। ये कहना भी गलत है कि न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

PW-2 अरविन्द कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.05.22 को मैं हिन्दू संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते, अपने हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओ, हिमांशू पटेल, देवेन्द्र, राजीव, रविन्द्र व अन्य लोगो के साथ, क्षेत्र में घूम रहा था, तभी हम लोगो को सूचना मिली कि गॉव बिचपुरी में अभिषेक गुप्ता, जो गोरखपुर के रहने वाले है, जो रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज में नौकरी करते है, ये लोग 8–8 व्यक्ति के साथ, ममता पत्नी राजेश के बिचपुरी के मकान में, गॉव में, गरीब लोगो को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे है। तब सूचना पर, मैं अपने साथी हिमांशू पटेल व देवेन्द्र के साथ बिचपुरी गया, तो देखा कि ममता के मकान का दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर धर्मान्तरण का कार्य एवं प्रार्थना, लोगो को लालच देकर करा रहे थे। तब हमने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और ममता के मकान का दरवाजा खुलवाया, तब हम लोगो ने देखा कि अभिषेक गुप्ता व कुन्दन के हाथ में Bible थी, जो ईसा मसीह की प्रार्थना करवा रहे थे। तब हम लोगो ने हिमांशू पटेल के साथ थाने पर जाकर, उपरोक्त लोगो के खिलाफ हिमांशू पटेल द्वारा मुकदमा कायम कराया गया था। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त कुन्दनलाल की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि मैं खेती करता हूॅ, मैंने Graduation किया है। हिमांशू पटेल से मेरी मुलाकात सुबह 7:00–7:30 बजे, हिमांशू पटेल के गॉव में हुयी थी। हिमांशू पटेल का गॉव, मेरे गॉव से डेढ़–दो किमी की दूरी पर है। घटना के सम्बंध में, मेरे पास सूचना सीधे नही आयी थी, मुझे हिमांशू पटेल ने बताया था। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे, तब मैं हिमांशू पटेल के साथ था। हमारे साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। घटनास्थल पर हम लोग 9:00–9:30 बजे पहुंच गये थे। मुझे हिमांशू पटेल ने घटना के बारे में नहीं बताया था, मुझे बताया था कि क्षेत्र में घूमने चल रहे है। हम लोग रामनगर कालोनी में घूम रहे थे, तभी हिमांशू पटेल को घटना के सम्बंध में सूचना मिल गयी थी। रामगंगा नगर से घटनास्थल 1 किमी के आस–पास है। हिमांशू पटेल को 8:30 बजे घटना की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने से पहले हम लोगो ने पुलिस को बुलाया था। मैं कुन्दन लाल को नहीं पहचानता हूॅ, न ही मेरा कभी किसी ने धर्म परिवर्तन किया। मैं हिन्दू समुदाय से हूॅ। **मेरे किसी रक्त सम्बंधी, किसी रिश्तेदार ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, न ही मुझसे किसी ने धर्म परिवर्तन के लिए कहा, मेरे सामने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया।** मैं ममता देवी को नही जानता हूॅ, न ही ममता देवी के बुलाने पर कभी उनके घर गया। मेरा कोई रक्त सम्बंधी, बिचपुरी गॉव में नहीं रहता है। जब हम लोग पुलिस के साथ पहुंचे तो दरवाजा बंद था। **मैं कथित घटनास्थल से घर के अंदर नहीं घुसा था।** घटनास्थल वाले घर के अंदर केवल पुलिस गयी थी। 10–15 मिनट रूककर पुलिस वापस आ गयी थी। पुलिस ने मेरे सामने अभिषेक गुप्ता व कुन्दनलाल को दिनांक 29.05.2022 को गिरफतार कर लिया था। उसी दिन दिनांक 29.05.2022 को पुलिस ने मौके से 2 Bible बरामद कर, Seize की थी। ये कहना गलत है कि दिनांक 29.05.2022 को पुलिस ने न तो अभिषेक गुप्ता व कुन्दनलाल को गिरफतार किया हो और न ही Bible बरामद की

हो। मैंने अपने पुलिस को दिये बयान में कुन्दनलाल का नाम बताया था, यदि विवेचक ने मेरे बयान में कुन्दनलाल का नाम नहीं लिखा है, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि कुन्दनलाल मौके पर न रहे हो, इसीलिए मैंने विवेचक को दिये बयान में कुन्दनलाल का नाम न बताया हो। आज हिमांशू पटेल वादी मुकदमा मेरे साथ अदालत आये। ये कहना गलत है कि आज अपनी मुख्य परीक्षा में कुन्दनलाल का नाम पहली बार वादी मुकदमा के कहने व कानूनी राय मशविरा के आधार पर, न्यायालय में झूठा बता रहा हूँ। दिनांक 29.05.22 को मैं वादी के साथ सीधे थाने गया था और दिनांक 29.05.22 को मुकदमा दर्ज करा दिया हो। ये कहना गलत है कि मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूं और उस दिनांक 29.05.22 को कोई मुकदमा दर्ज न हुआ हो। पुलिस ने मेरा बयान थाने पर लिया था। यदि पुलिस ने मेरे बयानो में, मेरा बयान, घर आकर लेना बताया हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि पुलिस ने मेरा कोई बयान न लिया हो। वादी मुकदमा हिमांशू पटेल से मेरी दोस्ती, घटना से 2 साल पहले से थी। जिस संगठन का कार्यकर्ता हिमांशू पटेल है, उसी संगठन का मैं भी कार्यकर्ता हूँ। मुझे जानकारी नहीं है कि वो संगठन Registered है या नही। इस मुकदमें के अलावा, मेरी एक और मुकदमें में गवाही है, उस मुकदमें के वादी भी हिमांशू पटेल है। वो मुकदमा भी कथित धर्मान्तरण से सम्बन्धित है। ये कहना गलत है कि वादी मुकदमा का दोस्त होने के नाते, वादी मुकदमा द्वारा लिखाये गये झूठे मुकदमें में, वादी मुकदमा के साथ–साथ, मैं भी सस्ती लोकप्रियता पाना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना नाम गवाही में लिखा दिया हो। ये कहना भी गलत है कि मैं मौके पर न रहा होऊँ और झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि पुलिस ने मेरे बयान में कुछ घटाया–बढ़ाया नही है, जो इस केस के बारे में लिये थे। ये कहना गलत है कि मेरे बयानो में कुन्दन का नाम नहीं है। मेरे मुताबिक यदि कोई कहे कि पुलिस ने अभिषेक गुप्ता व कुन्दनलाल को इस केस के सिलसिले में दिनांक 29.05.22 को गिरफतार नहीं किया, बल्कि किसी और दिन, जैसे दिनांक 07.10.23 को गिरफतार किया हो, तो ये बात गलत है। इसी तरह यदि कोई कहे कि दिनांक 29.05.22 को अभिषेक व कुन्दनलाल से कुछ बरामद नही हुआ, तो वो भी गलत होगा। इसी तरह यह कहना भी गलत है कि दिनांक 29.05.22 को कोई FIR दर्ज नही हुई हो, यदि कोई ऐसी बात कहता है तो वो बात गलत होगी। पुलिस दिनांक 29.05.22 को दिन में करीब 10:00 बजे मौके पर आयी थी और इस केस के बारे में सारी जॉच पड़ताल करीबन दो–ढाई घण्टे में कर ली थी। **तहरीर हिमांशू ने लिखी थी। यदि हिमांशू यह कहे कि तहरीर त्रिभुवन ने लिखी हो, तो ये बात गलत होगी। मैं त्रिभुवन को जानता हूँ।** पुलिस के आने व सारी जॉच पड़ताल पूरी होने के करीब आधे घण्टे बाद, तहरीर प्रदर्श क–1 लिखी थी, जोकि सारी जॉच पड़ताल के बाद लिखी थी और सारी बातो को अच्छे से जोड़कर लिखी थी। मैं उस दिन कथित घटनास्थल के कमरे के अंदर नहीं गया था। मैंने घटनास्थल के कमरे में जाकर नहीं देखा था कि वहॉ पर क्या हो रहा था। **जो कथित लोग कमरे के अंदर थे,**

उनमें से किसी ने किसी धर्मान्तरण की शिकायत या बयान पुलिस को नहीं दिये थे, न ही मेरे सामने कुछ नहीं बताया था। मैंने बयानो में पुलिस को कभी नहीं बताया कि कब–कब व किस–किस व्यक्ति का कोई कथित धर्मान्तरण हुआ या हो रहा था। मैंने किसी किस्म, जैसे लालच, आदि से कथित धर्मान्तरण के बारे में, कोई बात, पुलिस को नही बतायी क्योकि मेरे सामने कोई ऐसी बात नही हुई। अभिषेक गुप्ता का नाम–पता, 29 मई को सुबह 10 बजे, जब पुलिस ने मौके पर आकर जॉच पड़ताल की थी, तब पुलिस को पता चला था और बाद में पुलिस के जरिए हमको व हिमांशू को भी पता लगा था। मुझे कभी किसी ने धर्मान्तरण के लिए, प्रेरित नही किया और न ही मेरे साथ कभी ऐसी कोई कोशिश की गयी। अभिषेक गुप्ता हिन्दू जाति से आता है। दिनांक 29.05.22 को करीब 9–10 बजे, हम 2 लोग घटनास्थल पर गये थे। हम केवल 2 लोग गये थे, यदि कोई कहे कि हम केवल 2 लोग नही बल्कि और लोग थे, तो गलत है। **कमरे के अंदर मौजूद कथित लोगो में से कोई भी मेरा किसी तरह का रिश्तेदार या सम्बंधी नहीं था।** पुलिस के मौके पर, दिनांक 29.05.22 को आने के करीब, दो–ढाई घण्टे बाद थाने गये थे। पुलिस ने मेरे सामने कभी कोई चीज अभिषेक गुप्ता व कुन्दन लाल से बरामद नही की। **मुझे कभी हिन्दू धर्म छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा। मुझे कथित धर्मान्तरण की सूचना देने वाले हिमांशू पटेल ने कोई बात कभी नही बतायी। मैं नहीं बता सकता कि कथित धर्मान्तरण की सूचना मिलने के बाद हिमांशू ने क्यों बोली है।** मेरे सामने हिमांशू को कथित धर्मान्तरण की सूचना नहीं मिली थी। ये कहना गलत है कि हिमांशू का दोस्त होने के नाते मैं धर्मान्तरण की घटना के बारे में झूठी गवाही दे रहा हूं और मैंने दूसरे केस में इसी वजह से झूठी गवाही दी है। मैं अभिषेक गुप्ता को पहले से नही जानता हूँ। पुलिस के नाम बताने पर, उसका नाम–पता, आदि, जो मेरे बयानो में लिखा है, वो सब बातें पता लगी थी। **मुझे या हिमांशू को आज तक कभी किसी ने हिन्दू धर्म छोड़ने या धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा**। जो दूसरा केस है, कथित धर्मान्तरण के बारे में, भगवानदास, आदि के विरूद्ध दर्ज करवाया है, उसमें भी हमको कभी कोई धर्मान्तरण करने की बात नही कही। ये कहना गलत है कि मेरी झूठी गवाही के कारण, अभिषेक गुप्ता, आदि को काफी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा हो। यह कहना गलत है कि अभिषेक गुप्ता, आदि व उनके परिवार को जेल जाने की वजह से, काफी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानी व नुकसान का सामना करना पड़ा। मैं नहीं बता सकता कि उन्हें इस वजह से 50 लाख रूपये का नुकसान हुआ हो। ये कहना गलत है कि उपरोक्त नुकसान की भरपायी मुझे व हिमांशू आदि को करनी चाहिए।

PW-3 देवेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.05.2022 को मैं हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओ के साथ घूम रहा था। तभी हमें सूचना मिली कि गॉव बिचपुरी में, अभिषेक गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता, जो मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले है, वर्तमान में रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज में काम करते है। अभिषेक गुप्ता, 7–8 लोगो के साथ, ममता पत्नी राजेश के घर, गॉव में रहने वाले गरीब व्यक्तियो को लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिसकी सूचना पर मैं

अपने साथी अरविन्द, हिमांशू पटेल, आदि के साथ मौके पर आया तो ममता पत्नी राजेश के मकान का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर धर्मान्तरण का कार्य हो रहा था, जिसमें अभिषेक गुप्ता के हाथ में Bible थी और सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी गयी थी और पुलिस मौके पर आयी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट हिमांशू पटेल ने अगले दिन दर्ज करायी थी। दरोगाजी ने मेरे बयान लिये थे।

अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि **मेरा आज तक धर्मान्तरण नही हुआ है, न ही ऐसी कोई कोशिश आज तक मेरे साथ हुई।** मेरी हिमांशू व अरविन्द के साथ, संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते, अच्छी जान–पहचान है और दोस्ती है। दिनांक 30.05.22 या उसके बाद मेरा कोई बयान पुलिस में नही हुआ है, न ही मैंने कोई शिकायत की जोकि कथित धर्मान्तरण के बारे में हो। **जिन लोगो के, मैं कमरे में होने की बात कर रहा हूँ, उनमें से मेरा कोई रिश्तेदार या रक्त सम्बन्धित नहीं था।** मुझे अभिषेक गुप्ता का नाम पुलिसवालो ने तफतीश के बाद बताया था। मैं पहले से अभिषेक गुप्ता को नहीं जानता था। अभिषेक गुप्ता को दिनांक 29.05.22 को पहले हिरासत में लिया गया था, उसके बाद हमने पुलिस को शिकायत पत्र दिया था। खुद कहा कि 29 को शिकायत पत्र दिया था, 30 को मुकदमा लिखा था। यदि कोई कहे कि अभिषेक गुप्ता को दिनांक 29.05.22 को गिरफतार न किया गया हो तो यह गलत होगा। मैं उक्त कमरे के अंदर नहीं गया था, अंदर केवल पुलिस गयी थी। ये बात जो अरविन्द ने कही है कि घटना वाले दिन मैं, अरविन्द व हिमांशू, घटनास्थल पर गये थे, ये बात गलत है। मैंने पुलिस को कथित घटना के बारे में कोई तहरीर नहीं दी है। मेरे धारा–161 के बयान में जो ये बात लिखी है कि मैंने तहरीर दी है, वो गलत है। ये कहना सही है कि कमरे के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति का नाम–पता, जो कथित धर्मान्तरण के बारे में हो, मैंने पुलिस को नहीं बताया है। ये कहना सही है कि हिमांशू की तहरीर के आधार पर अभिषेक गुप्ता की नौकरी चली गयी और उसे जेल जाना पड़ा। ये कहना भी ठीक है कि इसी वजह से अभिषेक गुप्ता और उसके परिवार, आदि को कई प्रकार की मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस कथित धर्मान्तरण के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो सूचना मुझे नहीं मिली थी, खुद कहा, हिमांशू को मिली थी। **जिस कथित किताब को अभिषेक गुप्ता के हाथ में होना बता रहा हूँ, उसे मैंने खोलकर नही देखा, न ही उसे आज अदालत में देख रहा हूँ।** उक्त घटना की सूचना मैंने पुलिस को नहीं दी थी। मुझे कभी किसी धर्मान्तरण के बारे में लालच, धन या प्रलोभन नहीं दिया गया और न ही धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। मुझे नही पता है कि मेरे सामने किसी व्यक्ति ने कथित धर्मान्तरण के बारे में बयान दिया या नही। ये कहना गलत है कि हिमांशू व अरविन्द मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। ये कहना गलत है कि मैं कभी घटनास्थल पर न गया होऊँ और मैंने कोई घटना न देखी हो। ये कहना गलत है कि मैं आज गलत बयानी कर रहा हूँ।

अभियुक्त कुन्दन लाल की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि मैं इण्टर पास हूं। हिमांशू पटेल को मैं 5 साल से जानता हूँ। मैं हिन्दू

संगठन में कार्यरत हूॅ। घटना के बारे में मुझे कोई Direct सूचना नहीं मिली थी। मुझे हिमांशू पटेल ने सूचना दी थी। सूचना के समय मैं घटनास्थल से लगभग डेढ़ किमी की दूरी पर था। सूचना मुझे दिनांक 29.05.22 को, समय लगभग 7:30 सुबह मिली थी। जिस समय सूचना मिली, मैं उस समय अकेला था। घटनास्थल पर, घर के बाहर लगभग 15–20 लोग थे, जब मैं पहुंचा। मैं घर के अंदर नहीं घुसा था। घटनास्थल पर मेरे पहुंचने के 20–25 मिनट बाद पुलिस आ गयी थी। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया था। मैं मुल्जिम कुन्दन लाल को नहीं जानता हूॅ, न ही मैंने उनके बयान में पुलिस को कुन्दनलाल का नाम बताया था। **मेरे सामने किसी का कोई धर्मान्तरण नही हुआ था, न ही कभी मेरा धर्मान्तरण हुआ है। घटनास्थल पर मुझसे रक्त सम्बंधी कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था।** घर के अंदर मौजूद व्यक्तियो के नाम–वल्दियत, पता मुझे नही मालूम थे और न ही पुलिस को बताये थे। रिपोर्ट मैंने नहीं लिखाई। जो पुस्तक मैं बरामद होना बता रहा हूॅ, वह पुस्तक आज मेरे सामने न्यायालय में नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि कुन्दन लाल को पुलिस ने गिरफतार किया या नही क्योकि मैं कुन्दन लाल को जानता ही नही हूॅ। मैं वादी मुकदमा हिमांशू पटेल को व गवाह अरविन्द को लगभग 5 वर्षो से जानता हूॅ। हम लोग एक ही संगठन में कार्य करते है और हमारा आपस में संगठन के नाते अच्छी जान–पहचान है। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा हिमांशू व अरविन्द मेरे अच्छे दोस्त है, इसलिए उनके बताये अनुसार, मैं आज अदालत में झूठी गवाही दे रहा हूॅ। यह कहना भी गलत है कि मैं कभी घटनास्थल पर न गया होऊॅ और मैंने कोई घटना न देखी हो। यह भी गलत है कि आज अदालत में गलत बयान कर रहा हूॅ।

PW-4 SI कुमदेश त्यागी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 30.05.22 को थाना बिथरी चैनपुर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था, इसी दिन थाना बिथरी चैनपुर पर, हिमांशू पटेल पुत्र इन्द्र कुमार द्वारा, मु0अ0सं0 321/22, अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, बनाम अभिषेक गुप्ता पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक, बिथरी चैनपुर के आदेशानुसार, मुझ उपनिरीक्षक को प्राप्त हुयी। इसी दिन, मेरे द्वारा थाना कार्यालय से उक्त मुकदमें की FIR नकल रिपोर्ट प्राप्त कर, केस डायरी में नकल की गयी थी। इसी दिन मेरे द्वारा FIR लेखक CC101 कृष्णपाल सिंह, जो थाना कार्यालय में ही उपस्थित थे, से पूछताछ कर, कथन अंकित की गयी। दिनांक 02.06.22 को मेरे द्वारा CD-2 किता किया गया, इस दिन मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वादी हिमांशू पटेल के घर जाकर, उनका कथन अंकित किया गया तथा वादी मुकदमा को साथ लेकर, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा वादी मुकदमा के बताये अनुसार, नक्शा नजरी बनाया गया। पत्रावली पर शामिल कागज संख्या–5क मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। दिनांक 05.06.22 को CD-3 किता किया गया, जिसमें गवाह अरविन्द, देवेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया गया। दिनांक 15.08.22 को CD-4 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त की तलाश के बाबत विवरण अंकित किया गया,

जिसके पश्चात मेरा स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप अग्रिम विवेचना रजनीश तिवारी द्वारा की गयी।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि यह कहना ठीक है कि मेरे द्वारा पत्रावली में धारा–65B साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाणपत्र नहीं लगाया गया है। खुद कहा कि मेरे द्वारा विवेचना पूर्ण नहीं की गयी थी। मेरे द्वारा शिकायतपत्र में वर्णित हिन्दू संगठन के 10–15 कार्यकर्ता मौके पर पहुंचने के बारे में जो लिखा है, उसके बारे में उनकी कोई List नहीं बनायी गयी और न ही जॉच की गयी। इसी तरह शिकायतपत्र में जो लिखा है कि मौके पर थाना पुलिस के लोग और चौकी इंचार्ज आये थे, उसकी कोई List मैंने नही बनायी और न ही इस बारे में कोई जॉच की। मैं 29 या 30 मई, 2022 के इस केस के सिलसिले में, अभिषेक गुप्ता से नहीं मिला। मैंने अपनी जॉच की अवधि के दौरान, अभिषेक गुप्ता की जाति व समाज के बारे में कोई जॉच नहीं की। मेरे द्वारा अभिषेक से इस मुकदमें के सिलसिले में कोई बरामदगी नहीं की गयी। मैंने, तहरीर किसने लिखी, इसके बारे में कोई जॉच नहीं की। मुझे हिमांशू पटेल ने कभी यह नहीं बताया कि तहरीर त्रिभुवन सिंह ने लिखी है। **मेरी तफतीश में कभी कहीं यह नहीं आया कि किसी भी व्यक्ति ने, किसी अन्य व्यक्ति को, हिन्दू धर्म छोड़ने को कहा हो।** स्वयं कहा कि धर्मान्तरण होने के बारे में, वादी मुकदमा ने सूचना दी थी, जोकि तहरीर व बयान वादी और उसके गवाहो के बयान में धर्मान्तरण की सूचना वाली बाते आयी है। मैंने धर्मान्तरण की प्रक्रिया और रीति–रिवाजो को जानने के लिए किसी धर्म गुरू से कोई पूछताछ नहीं की और न ही गवाह रखा। मेरी तफतीश में कहीं नहीं आया है कि किस प्रकार के रीति–रिवाजो द्वारा कथित धर्मान्तरण हो रहा था। मैंने मुकदमा दर्ज करवाने में हुई एक दिन की देरी के बारे में, कोई जॉच नहीं की। मेरी जॉच में कभी, कहीं यह नहीं आया है कि किसी भी व्यक्ति का कथित धर्मान्तरण कब, कैसे हुआ। घटनास्थल के आस–पास कोई पीपल का पेड़ नहीं है। मेरी जॉच के दौरान कहीं पर भी यह नहीं आया है कि हिमांशू पटेल को धर्मान्तरण की सूचना कब और किसने दी। मैंने धर्मान्तरण का अधिनियम पढ़ा है। **मेरी जॉच के मुताबिक वादी मुकदमा व अन्य गवाह में से कभी किसी को, न तो धर्मान्तरण के लिए प्रेरित किया गया और न ही इनके किसी रक्त सम्बंधी या रिश्तेदार को किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी तरीके से, धर्मान्तरण के लिए, कभी भी प्रेरित किया गया हो।** यह कहना गलत है कि हिमांशू पटेल एक पीड़ित व्यक्ति नहीं था, परन्तु मैंनें राजनीतिक दबाव में आकर, उपरोक्त मुकदमें की जॉच निष्पक्ष व वैधानिक रूप से न की हो। मैंने नक्शा–नजरी में कहीं नहीं दिखाया है कि कोई व्यक्ति, कहॉ था या कोई कथित चीज, कहॉ बॉट रहा था। स्वयं कहा कि वादी मुकदमा ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। यह कहना गलत है कि मैंने इस केस में गलत तरीके से जॉच की हो। यह भी कहना गलत है कि राजनीतिक दबाव के कारण मैंने झूठे व मनगढ़ंत तथ्यो के आधार पर, गलत धाराओ को रहने दिया हो। FIR में कुन्दन लाल नामित नहीं था। मेरी विवेचना के दौरान, किसी भी साक्षी ने, कुन्दन लाल का नाम नहीं बताया। मैं इस मुकदमें में नक्शा बनाने गया था, लेकिन उसकी रवानगी की कोई GD पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर नक्शा बनाने न गया होऊॅ और वादी के कहे

अनुसार, थाने पर नक्शा–नजरी बना दिया हो। दिनांक 29.05.22 को कुन्दन लाल पुलिस को मौके पर नहीं मिला था।

PW-5 डा0 फैज शम्सी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज में वर्ष 2011 से Medical Officer के पद पर कार्यरत था। अभिषेक कुमार पुत्र राजेश कुमार की Employee File के अनुसार, अभिषेक कुमार, दिनांक 01.10.2007 से रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज में Technician CT विभाग में कार्यरत था। अभिषेक कुमार दिनांक 24.05.22 से Duty पर अनुपस्थित चल रहा था। मैंने उसकी ID व मॉगे गये दस्तावेज पुलिस को दिये थे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि आज मैं अस्पताल से कोई अभिलेख लेकर नहीं आया हूॅ। अभिषेक गुप्ता को अप्रैल 2022 तक की Salary दे दी गयी थी। Salary से सम्बन्धित कोई दस्तावेज आज मेरे सामने नहीं है। मेरे Hospital में अभिषेक गुप्ता 11 साल तैनात रहा। इन 11 सालो में किसी ने अभिषेक गुप्ता पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप नहीं लगाया। अभिषेक गुप्ता की हाजिरी का कोई प्रपत्र आज मेरे सामने नहीं है। पुलिस ने मुझसे केवल अभिषेक गुप्ता की ID ली थी। मुझे ध्यान नही है कि अभिषेक गुप्ता के गैर हाजिर रहने के बाद, नोटिस जारी किया गया या नही। पुलिस को मैंने अपना कोई बयान दर्ज नहीं कराया था। यदि पुलिस ने मेरा कोई बयान लिख लिया है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। अभिषेक गुप्ता के खिलाफ, हमारे विभाग द्वारा, कभी कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं की गयी। मैं जिस पद पर तैनात हूॅ, उस पद का पुलिस ने कोई प्रमाणपत्र नहीं लिया था।

PW-6 रविन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.05.22 को ग्राम बिचपुरी में राजेश मौर्य के घर में अभिषेक गुप्ता व कुन्दन लाल के द्वारा लालच देकर प्रार्थना सभा और धर्मान्तपरण का कार्य कराये जाने की सूचना मुझे हिमांशू पटेल ने दी, तब मैं अपने साथी के साथ बिचपुरी पहुंचा था। दरवाजा खोलकर राजेश मौर्य को देखा तो अभिषेक गुप्ता व अन्य लोग हाथ में Bible लेकर प्रार्थना कर रहे थे। हम लोगो ने सूचना दी थी, मौके पर पुलिस भी आयी थे। इसकी सूचना हिमांशू पटेल ने दी थी। दरोगाजी ने मेरे बयान लिये थे।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि **मेरा कभी कोई धर्म परिवर्तन नही हुआ और आज तक मेरे जीवन में मुझे धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरीके से प्रेरित नहीं किया है। कथित मौके पर मौजूद व्यक्तियो में से कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं था।** मुझे राजेश मौर्य ने कभी किसी कार्यक्रम में नही बुलाया था। मैं अभिषेक गुप्ता को पहले से नही जानता था। स्वतः कहा कि पुलिस मौके पर आयी थी। उन्होने जॉच पड़ताल के बाद मुझे अभिषेक गुप्ता का नाम बताया था। मैंने उक्त व्यक्ति का कोई ID वगैरह नहीं देखा था। मैंने आज अदालत में कथित कोई Bible नहीं देखी है। मैं किसी कुन्दन लाल को नहीं जानता हूॅ, इसलिए मैंने कभी पुलिस या किसी को कुन्दन लाल के बारे में कोई बयान नहीं दिया। अरविन्द ने जो बात कही

है कि वो व हिमांशू पटेल घटनास्थल पर गये, ये बात गलत है। **मेरे किसी भी रिश्तेदार या सम्बंधी को कभी किसी ने, किसी भी तरीके से, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं किया।** मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ईसाई बनने की प्रक्रिया क्या है और उसमें किन–किन रीति–रिवाजो का पालन किया जाता है। मैं अभिषेक गुप्ता की जाति के बारे में नहीं बता सकता। अभिषेक गुप्ता, हिमांशू पटेल के कारण जेल गये है। **हिमांशू पटेल ने कभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, न ही उन्हें कभी किसी ने धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरीके से प्रेरित किया।** मुझे कभी किसी धर्म परिवर्तन करवाये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। अरविन्द ने जो बात कही है कि घटनास्थल पर पुलिसवाले ही अंदर गये थे, वह बात झूठी है। जो घटना मैं बता रहा हूँ, वह लगभग 1–1.5 साल पुरानी है। मुझे हिमांशू ने कभी कोई किताब/Bible, आदि नही दी। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर जाने वाली बात गलत बोल रहा हूँ। मैंने कभी पुलिस को इस मुकदमें के सम्बंध में कोई सूचना नहीं दी थी। यह कहना गलत है कि मैं दिनांक 29.05.22 को राजेश मौर्य के घर नहीं गया होऊँ और न ही मेरे सामने कोई कथित घटना घटी हो। मैंने पुलिस को कभी कोई किताब/Bible इस मुकदमें से सम्बन्धित नहीं दी थी।

PW-7 HCP 183 कृष्णपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30.05.22 को थाना बिथरी चैनपुर में, मैं बतौर CC/Clerk तैनात था। उस दिन समय 18:01 बजे, हिमांशू पटेल द्वारा दाखिल की गयी तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा बोल–बोलकर Computer Operator मुकेश कुमार से Type कराकर, मु0अ0सं0 321/22, अन्तर्गत धारा 3/5 (1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, बनाम अभिषेक गुप्ता पंजीकृत किया गया था, जिसकी चिक FIR पत्रावली पर कागज संख्या–4क/1 ता 4क/3 के रूप में मौजूद है, जिसकी पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मुकदमें का खुलासा उसी दिन GD No.-64 पर मेरे द्वारा किया गया था, जो पत्रावली पर कागज संख्या–4क/4 के रूप में मौजूद है, की पुष्टि करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि तहरीर, दिनांकित 29.05.22, जिस पर प्रदर्श क–5 पड़ा है, मुझे दिनांक 29.05.22 को प्राप्त नही हुयी थी बल्कि दिनांक 30.05.22 को प्राप्त हुयी थी। दिनांक 29.05.22 को मुझसे इस मुकदमें के सम्बंध में वादी ने सम्पर्क नहीं किया था। इस पूरी तहरीर में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वादी का स्वयं का या किसी रक्त सम्बंधी व्यक्ति का, कोई धर्म परिवर्तन हुआ हो या प्रयास किया गया हो। पहले मैंने तहरीर मिलने के बाद GD में Entry की, जिसमें मुझे लगभग 10–15 मिनट लगे। इसके बाद मैंने चिक काटी थी। यह बात सही है कि GD काटने व चिक लिखने का समय एक ही है। यह कहना गलत है कि मैंने सारी लिखापढ़ी Ante-Time की हो। मैंने उप्र0 विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 को नहीं पढ़ा था। धारा–3/5(1), मैंने SHO महोदय के मौखिक आदेश पर लिखी थी। यह कहना गलत है कि उक्त मुकदमा में धारा–3/5(1) का

कोई अपराध न बनता हो और मैंने गलत धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कर दिया हो। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 30.05.22 को वादी मुकदमा, मुकदमा दर्ज कराने न आया हो। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा गलत रूप से लिखी गयी FIR के कारण, मुल्जिमान को जेल जाना पड़ा हो। यह कहना गलत है कि मैंने हिन्दू संगठन के दबाव में आकर, झूठी व गलत FIR दर्ज की हो।

PW-8 SI रजनीश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.09.22 को मैं थाना बिथरी चैनपुर पर बतौर SI तैनात था। उस दिन मैंने मु0अ0सं0 321/22, अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की विवेचना ग्रहण की थी। उस दिन मैंने CD-5 किता किया, जिसमें पूर्व किता CD का अवलोकन किया। दिनांक 16.09.22 को CD-6 किता किया, जिसमें बयान गवाह राजेश कुमार मौर्य, ममता देवी, अंकित किये। दिनांक 26.09.22 को CD-7 किता किया, जिसमें बयान चिकित्सक फेज शम्सी, Admistrative Officer, रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, अंकित किया। दिनांक 05.10.22 को CD-8 किता किया, जिसमें मजीद बयान हिमांशू पटेल तथा चश्मदीद गवाह रविन्द्र कुमार व राजीव, अंकित किये तथा एक किता किताब पवित्र Bible कब्जे में ली गयी, जिसका अवलोकन कर फर्द बनायी गयी। पत्रावली पर शामिल कागज संख्या–6क, जो एक किता किताब पवित्र Bible की फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। फर्द पर गवाह रविन्द्र कुमार, राजीव कुमार व हिमांशू पटेल की उपस्थिति में, कब्जा पुलिस लेकर मौके पर तैयार की गयी थी। Bible को सफेद कपड़े में सील सर्वमोहर कर, गवाहो के अलामात बनवाये गये थे, एक अदद बण्डल सफेद कपड़े में लिपटा हुआ सील सर्वमोहर न्यायालय में मौजूद है, जिस पर मुकदमें का विवरण अंकित है, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया, ये वही Bible है, जो वादी मुकदमा हिमांशू पटेल बनाम अभिषेक गुप्ता व 8 व्यक्ति नाम–पता अज्ञात, के कब्जे से बरामद की गयी थी, Bible किताब पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। दिनांक 06.10.2022 को CD-9 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त की गिरफतारी हेतु दबिश दी गयी। अभियुक्त दस्तयाब नहीं हुआ। दिनांक 07.10.22 को CD-10 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की गिरफतारी Memo का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात SI राम अवतार सिंह, बयान CP दीपक कुमार, बयान अभियुक्त अभिषेक गुप्ता, अंकित किये गये। दिनांक 08.10.22 को अभियुक्त कुन्दन लाल की गिरफतारी Memo का अवलोकन किया व बयान CP दीपक कुमार, अमित कुमार व अभियुक्त कुन्दनलाल, अंकित किया गया, जो 08.10.22 को CD-11 में अंकित किया गया। दिनांक 09.10.22 को CD-12 किता किया गया, जिसमें धर्म परिवर्तन करा रहे लोगो के बारे में जानकारी की गयी, जानकारी नहीं मिली। दिनांक 10.10.22 को CD-13 किता किया गया, जिसमें बयान गवाह बबलू श्रीवास्तव, आकाश राजपूत, अंकित किये, जिसमें तमामी विवेचना के पश्चात, मुकदमा उपरोक्त में नामित 8 अज्ञात व्यक्तियो के

सम्बंध में जानकारी का काफी प्रयास किया गया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, जिस कारण से 8 अज्ञात व्यक्तियो का मुकदमें से नाम पृथक किया गया तथा अभिषेक गुप्ता व कुन्दन लाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन होने के पश्चात, मु0अ0सं0 321/22, अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में आरोपपत्र संख्या 447/22, माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली पर शामिल कागज संख्या–3क/1 ता 3क/7 आरोपपत्र है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, की पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि मैं घटनास्थल पर नहीं गया था। पूर्व विवेचक गये होंगे। विवेचना के दौरान मैंनें गवाहो के बयान उनके घर जाकर लिये थे। घर जाने की रवानगी की कोई GD पत्रावली पर नही है। 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाणपत्र पत्रावली पर नही है। CD Type होकर Print Out होने के बाद, हम लोगो के दस्तखत होते है। कागज संख्या 11क/15 ता 11क/40 पर CD Report मुद्रण की तिथि 12.09.22 व 11क/40 पर तिथि 11.10.22 अंकित है। मेरे हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 07.09.22 व 09.10.22 अंकित है। यह इस कारण से है क्योकि यदि Network या Server के कारण Print नहीं निकल पाता है तो कार्यवाही की तिथि ही डाली जाती है। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही मैंने फर्जी तरीके से की हो, इसलिए तारीखे गलत लिखी हैं। दिनांक 29.05.22 को लिखित तहरीर में यह बात लिखी है कि मौके पर पुलिस आयी थी, लेकिन कौन सी पुलिस आयी थी, इस बारे में मैंने विवेचना में नहीं लिखा है और न ही किसी पुलिस कर्मचारी का इस सम्बंध में कोई बयान लिखा गया था। किसी भी अभियुक्त की शिनाख्त मेरे द्वारा नहीं करायी गयी थी। मुल्जिम अभिषेक को गिरफतार करने के बाद, उसने कुन्दन लाल का नाम बताया था। इस मुकदमें की विवेचना में अभियुक्तो के Mobile Number न होने के वजह से, मेरे द्वारा कोई Call Detail नहीं निकलवायी गयी थी। **मुल्जिमान के पास से, इस मुकदमें से सम्बन्धित कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी थी, न ही कोई उपहार बरामद हुआ था। मुकदमा में बरामद Bible मुझे वादी मुकदमा के मित्र के द्वारा विवेचना के दौरान दी गयी थी।** Bible मेरी Seal से Seal हुयी थी। नमूना मोहर बनाया गया था, नमूना मोहर पत्रावली पर मौजूद नहीं है। मालखाना रजिस्टर की कोई नकल मेरे द्वारा विवेचना में सम्मिलित नहीं की गयी थी। मालखाना मुहर्रिर का बयान मेरे द्वारा नहीं लिया गया था। **इस विवेचना के दौरान मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसने बताया हो कि मेरा धर्म परिवर्तन हो गया हो। किसी गवाह ने मुझे यह नहीं बताया था कि मुल्जिमान अभिषेक व कुन्दन लाल ने हमें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया हो। विवेचना के दौरान इस मुकदमें से सम्बन्धित किसी गवाह ने अपने बयान में यह बात नहीं बताया था कि मुल्जिमान ने मुझे हिन्दू धर्म त्यागने के लिए कहा था।** चूंकि घटना काफी पुरानी थी, इसलिए घटना के समय से सम्बन्धित गवाह की तलाश की गयी लेकिन नहीं मिले। वादी मुकदमा जिस संगठन से जुड़ा था, वह सरकार द्वारा पंजीकृत था या नही, मुझे जानकारी नहीं है। मैंने किसी Church के किसी धर्मगुरू से न तो कोई पूछताछ की, न ही उसे गवाह बनाया। धर्म बदलने की प्रक्रिया की मुझे जानकारी है। धर्म बदलने की यही प्रक्रिया है कि किसी को अपना

धर्म त्यागकर, दूसरा धर्म ग्रहण करना होता है। मैंने विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम, 2021 का अध्ययन किया है। यह कहना गलत है कि मैंने गलत तथ्यो के आधार पर, झूठा आरोप पत्र न्यायालय में लगा दिया हो। यह कहना भी गलत है कि जिस प्रकार से मैंने गिरफतारी दिखायी हो, वह गलत हो। यह बात सही है कि मैंने इस मुकदमें में त्रिभुवन का कोई बयान नहीं लिया है। यह कहना गलत है कि मैंने वादी व अन्य गवाह का कोई बयान या मजीद बयान न लिया हो। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा की गयी झूठी कार्यवाही से अभिषेक को जेल जाना पड़ा हो और उसकी नौकरी चली गयी हो। यह कहना सही है कि वस्तु प्रदर्श–1 जैसी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध होती है। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा व राजनीतिक दबाव में आकर फर्जी बरामदगी दिखाते हुए, सारी लिखापढ़ी फर्जी तरीके से की हो।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि अभियोजन की ओ से परीक्षित साक्षीगण द्वारा, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्तगण की दोषसिद्धि की याचना की गयी।

प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिकी एक दिन से विलम्बित है, Ante-Time है। वादी मुकदमा को प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं था क्योकि प्राथमिकी पीड़ित या उसका सम्बंधी ही दर्ज करा सकता है। अतः वाद की कार्यवाही पोषणीय ही नही है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई भी व्यक्ति परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसे स्वयं उसे या उसके सम्बंधी को अपना धर्म त्यागने व ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया रहा हो या इस सम्बंध में प्रयास किया गया रहा हो। अभियुक्तगण के पास से, धर्म परिवर्तन सम्बंधी कोई सामग्री बरामद नहीं हुई। प्रस्तुत प्रकरण में कथित रूप से बरामद Bible स्वयं वादी मुकदमा द्वारा विवेचक को उपलब्ध करायी गयी है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

<u>तार्किक–विश्लेषण</u>

अभियोजन प्रपत्र तथा परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में अन्तर्गत धारा 354(1)(b) द0प्र0सं0, 1973 न्यायालय के मत में, प्रस्तुत प्रकरण का विनिश्चय निम्नलिखित अवधार्य बिन्दुओ के अधीन किया जाना, युक्तिसंगत होगा–

1. क्या वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी प्रार्थनापत्र के आधार पर पंजीकृत प्राथमिकी विधिसंगत है?
2. क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, आरोपित अपराध सम्बंधी घटना एवं उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध होती है?

3. क्या अभियोजन पक्ष, आरोपित अपराध को, अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है ?

<u>प्रथम अवधार्य बिन्दु का निस्तारण</u>

प्रथम अवधार्य बिन्दु इस आशय का विनिर्धारित है कि **क्या वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी प्रार्थनापत्र के आधार पर पंजीकृत प्राथमिकी विधिसंगत है?**

उपरोक्त अवधार्य बिन्दु में विशुद्ध रूप से विधिक प्रश्न अन्तर्वलित है।

प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि *उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021(3)* की धारा–4 के आलोक में, मात्र पीड़ित अथवा उसका सम्बंधी ही प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, जबकि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण, विशेष रूप से वादी मुकदमा श्री हिमांशू पटेल के साक्ष्य के आलोक में स्पष्ट है कि श्री हिमांशू पटेल न तो स्वयं पीड़ित है और न ही किसी पीड़ित के सम्बंधी हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण का आधार अर्थात प्राथमिकी ही अवैध हो जाती है।

उपरोक्त बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा मात्र औपचारिक खण्डन किया गया।

उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021(3) की धारा–4 के अनुसार–*कोई व्यथित व्यक्ति, उसके माता–पिता, भाई, बहन या ऐसा कोई व्यक्ति, जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित हो, ऐसे धर्म संपरिवर्तन, जिससे धारा–3 के उपबंध का उल्लंघन होता हो, के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकता है/कर सकती है।*

प्रस्तुत प्रकरण में, अभियुक्तगण पर अन्तर्गत धारा–3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम–2021(3), आरोप विरचित है।

उक्त अधिनियम की धारा–3 दुर्व्यपदेशन, बल, कपट, असम्यक् प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन के प्रतिषेध का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार,

(1). कोई व्यक्ति, दुर्व्यपदेशन, बल, कपट, असम्यक् प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा रूप में, एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तित नहीं करेगा/करेगी या संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा/करेगी। कोई व्यक्ति ऐसे धर्म संपरिवर्तन के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा/करेगी, विश्वास नहीं दिलाएगा/दिलाएगी या षडयंत्र नहीं करेगा/करेगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनो के लिए, इस उपधारा में संख्यांकित कारको के आधार पर, विवाह या विवाह की प्रकृति के सम्बंध का अनुष्ठानीकरण, करके किया गया धर्म संपरिवर्तन सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।

(2). यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म में संपरिवर्तन करता है तो उसे इस अधिनियम के अधीन धर्म संपरिवर्तन नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनो के लिए, ठीक पूर्व धर्म का तात्पर्य ऐसे धर्म से है, जिसमें उस व्यक्ति की आस्था, विश्वास था अथवा जिसके लिए उक्त व्यक्ति स्वेच्छा से और स्वतन्त्र रूप से अभ्यस्त था।

उक्त अधिनियम की धारा–5(1), उपरोक्त धारा–3 के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान करती है।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वादी मुकदमा हिमांशू पटेल को थाने में प्रश्नगत तहरीर प्रदर्श क–1 देकर, प्राथमिकी प्रदर्श क–3 दर्ज कराने का अधिकार (Locus Standi) प्राप्त था ?

इस सम्बंध में, वादी मुकदमा/साक्षी PW-1 की, अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा का निम्नलिखित अंश विचारणीय है–

मैंने आज तक न ही धर्मान्तरण किया है, न ही मेरे साथ ऐसी कोई कोशिश कभी हुई है। ये कहना सही है कि मेरी FIR में या मेरे बयानो में आज तक किसी ने मुझे या किसी और को हिन्दू धर्म छोड़ने को बोला हो, ऐसी बात नहीं आयी है.....मैं जिन 30–40 लोगो की बात कर रहा हूँ, उनमें से कोई मेरे पिता, भाई, बहन या रक्त सम्बंधी नहीं थे। उनमें से मेरे किसी भी तरह के रिश्तेदार नहीं थे।

वादी मुकदमा/साक्षी PW-1 की प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त अंश से स्पष्ट है कि न तो घटना की तिथि तक उसका धर्मान्तरण हुआ, न ही कभी उसके धर्मान्तरण का प्रयास हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत प्रकरण में, धर्मान्तरण हेतु इंगित 30–40 व्यक्तियो में से कोई भी उसका, किसी भी प्रकार से सगा–सम्बंधी नहीं था।

इस सम्बंध में अन्य साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

PW-2-प्रतिपरीक्षा–*मेरे किसी रक्त सम्बंधी, किसी रिश्तेदार ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, न ही मुझसे किसी ने धर्म परिवर्तन के लिए कहा, मेरे सामने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया.....कमरे के अंदर मौजूद कथित लोगो में से कोई भी मेरा किसी तरह का रिश्तेदार या सम्बंधी नहीं था.....मुझे कभी हिन्दू धर्म छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा..... मुझे या हिमांशू को आज तक कभी किसी ने हिन्दू धर्म छोड़ने या धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा।*

PW-3-प्रतिपरीक्षा–*मेरा आज तक धर्मान्तरण नही हुआ है, न ही ऐसी कोई कोशिश आज तक मेरे साथ हुई.....जिन लोगो के, मैं कमरे में होने की बात कर रहा हूँ, उनमें से मेरा कोई रिश्तेदार या रक्त सम्बन्धित नहीं था.....मेरे सामने किसी का कोई धर्मान्तरण नही हुआ था, न ही कभी मेरा धर्मान्तरण हुआ है। घटनास्थल पर मुझसे रक्त सम्बंधी कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था।*

PW-6-प्रतिपरीक्षा–*मेरा कभी कोई धर्म परिवर्तन नही हुआ और आज तक मेरे जीवन में मुझे धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरीके से प्रेरित नहीं किया है। कथित मौके पर मौजूद व्यक्तियो में से कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं था.....मेरे किसी भी रिश्तेदार या सम्बंधी को कभी किसी ने, किसी भी तरीके से, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं*

किया.....हिमांशू पटेल ने कभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, न ही उन्हें कभी किसी ने धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरीके से प्रेरित किया।

PW-4-SI कुमरेश त्यागी (प्रथम विवेचक) की प्रतिपरीक्षा–*मेरी जॉच के मुताबिक वादी मुकदमा व अन्य गवाह में से कभी किसी को, न तो धर्मान्तरण के लिए प्रेरित किया गया और न ही इनके किसी रक्त सम्बंधी या रिश्तेदार को किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी तरीके से, धर्मान्तरण के लिए, कभी भी प्रेरित किया गया हो।*

इस प्रकार, तथ्य के शेष साक्षीगण द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में इस आशय का कथन किया गया है कि न तो उन्होने अथवा वादी मुकदमा ने धर्म परिवर्तन किया है और न ही इस सम्बंध में उनके साथ कोई प्रयास ही हुआ है। स्वयं प्रथम विवेचक/साक्षी PW-4 द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि वादी मुकदमा या अन्य साक्षियो में से न तो किसी को धर्मान्तरण हेतु प्रेरित किया गया और न ही उनके किसी सगे सम्बंधी व्यक्ति को कभी धर्मान्तरण हेतु प्रेरित किया गया।

इस प्रकार, वादी मुकदमा व विवेचक सहित उपरोक्त समस्त साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वादी मुकदमा अथवा तथ्य के अन्य किसी साक्षीगण अथवा उनके किसी प्रकार से सम्बंधी व्यक्तियो को न तो धर्मान्तरण हेतु प्रेरित किया गया और न ही इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई प्रयास किया गया। अतः न्यायालय के मत में, प्रतिरक्षा पक्ष के तर्क में बल पाया जाता है तथा अधिनियम की धारा–4 से प्रस्तुत आपराधिक वाद बाधित पाया जाता है। वादी मुकदमा हिमांशू पटेल को प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिकी हेतु तहरीरी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था तथा उनकी ओर से प्रस्तुत तहरीरी प्रार्थनापत्र के आधार पर दर्ज प्राथमिकी, विधितः शून्य व निष्प्रभावी है।

<u>द्वितीय अवधार्य बिन्दु का निस्तारण</u>

द्वितीय अवधार्य बिन्दु इस आशय का विनिर्धारित है कि **क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, आरोपित अपराध सम्बंधी घटना एवं उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध होती है?**

यद्यपि प्रथम अवधार्य बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण की प्राथमिकी विधितः शून्य व निष्प्रभावी धारित की जा चुकी है, परिणामस्वरूप सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही शून्य प्रभावी हो चुकी है, तथापि चूंकि प्रथम अवधार्य बिन्दु में नितांत विधिक प्रश्न अन्तर्वलित था, अतः प्रकरण के तथ्यात्मक बिन्दुओ का विश्लेषण न्याय हित में समीचीन प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में, आरोपित अपराध सम्बंधी घटना में किसी भी व्यक्ति के धर्मान्तरण का प्रयास सिद्ध पाया गया है अथवा नही।

अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इंगित विरोधाभासो व विसंगतियो का बिन्दुवार विश्लेषण निम्नवत् है–

(i). प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्राथमिकी **एक दिन** से विलम्बित है अर्थात तहरीरी प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1, दिनांकित 29.05.2022 की तिथि का है जबकि प्राथमिकी दिनांक 30.05.2022 की सायं 6:01 बजे दर्ज हुयी। विलम्बित प्राथमिकी के सम्बंध में अभियोजन की ओर से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस सम्बंध में, प्रथम विवेचक/साक्षी PW-4 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मैंने मुकदमा दर्ज करवाने में हुई एक दिन की देरी के बारे में, कोई जॉच नहीं की।*

साक्षी PW-3 की प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *दिनांक 29 को शिकायत पत्र दिया था, 30 को मुकदमा लिखा था।*

इस प्रकार न्यायालय के मत में, प्राथमिकी दर्ज होने में हुआ **एक दिन** का विलम्ब स्पष्टीकृत नहीं है, जिसके आधार पर प्राथमिकी की वैधता को संदिग्ध उपधारित किया जाना विधिसंगत होगा।

(ii). प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, तहरीरी प्रार्थनापत्र किसके लेख में है, यह भी स्पष्ट नहीं है क्योकि वादी मुकदमा का कथन है कि उसने तहरीरी प्रार्थनापत्र त्रिभुवन सिंह नामक व्यक्ति से लिखवाया था, जिसका अन्य साक्षीगण द्वारा खण्डन किया गया है।

वादी मुकदमा/साक्षी PW-1 द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि *पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4क/5 ता 4क/6, जो तहरीर है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।*

उक्त साक्षी PW-1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *FIR मेरे द्वारा नहीं लिखी गयी है, न ही मेरे लेख में है, जोकि मैं तहरीर के बारे में कह रहा हूँ.....मैंने तहरीर त्रिभुवन से लिखवायी थी। यह बात सही है कि मैं त्रिभुवन सिंह का नाम आज पहली बार बता रहा हूँ।*

साक्षी PW-2 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *तहरीर हिमांशू ने लिखी थी। यदि हिमांशू यह कहे कि तहरीर त्रिभुवन ने लिखी हो, तो यह बात गलत होगी। मैं त्रिभुवन को जानता हूँ।*

प्रथम विवेचक/साक्षी PW-4 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मैंने, तहरीर किसने लिखी, इसके बारे में कोई जॉच नहीं की। मुझे हिमांशू पटेल ने कभी यह नहीं बताया कि तहरीर त्रिभुवन सिंह ने लिखी है।*

वादी मुकदमा/साक्षी PW-1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा में पहली बार त्रिभुवन सिंह नामक व्यक्ति से तहरीर लिखाने का कथन किया गया है, ऐसा कोई कथन उसके द्वारा अन्तर्गत धारा–161 द0प्र0सं0, विवेचक के समक्ष नहीं किया गया। स्वयं वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर के, अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन किया गया है, जिसकी पुष्टि साक्षी PW-2 द्वारा की गयी है। इस प्रकार साक्षी PW-1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किये गये विरोधाभासी कथन के आलोक में, न्यायालय के मत में, तहरीर का **लेख** संदिग्ध हो जाता है।

(iii). प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त अभिषेक गुप्ता को दिनांक 29.05.22 को ही पुलिस ने गिरफतार कर लिया था, जिसकी तथ्य के समस्त साक्षीगण द्वारा पुष्टि की गयी है, किन्तु उसकी गिरफतारी दिनांक 07.10.22 को, CD के पर्चा नम्बर–10 पर, फर्जी तौर पर, मिथ्या कथानक गढ़ते हुए, फर्जी बरामदगी दिखाते हुए, दर्शित की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुलिस ने अभियुक्त अभिषेक गुप्ता को 4 माह से अधिक समय तक, विधि विरूद्धतः निरूद्ध रखा गया।

साक्षी PW-1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *अभिषेक गुप्ता को पुलिस ने इस मुकदमें के बारे में, दिनांक 29.05.22 को हिरासत में लिया था। मेरे सामने हिरासत में लिया था।*

साक्षी PW-2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *पुलिस ने मेरे सामने अभिषेक गुप्ता व कुन्दन लाल को दिनांक 29.05.22 को गिरफतार कर लिया था।*

साक्षी PW-3 की प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *अभिषेक गुप्ता को दिनांक 29.05.22 को पहले हिरासत में लिया गया था, उसके बाद हमने पुलिस को शिकायत पत्र दिया था।*

प्रकरण की केस डायरी के अवलोकन से विदित हुआ कि पर्चा नम्बर–10 अर्थात CD-10 में दिनांक 07.10.2022 को अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की गिरफतारी दर्शित की गयी है।

न्यायालय के मत में, तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में, पर्चा नम्बर–10 अर्थात CD-10 में दिनांक 07.10.2022 को अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की **गिरफतारी** व **बरामदगी** पूर्णतः संदिग्ध हो जाती है।

(iv). प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में पीपल के पेड़ के निकट घटनास्थल स्थित होने का कथन किया गया है, किन्तु नक्शा–नजरी प्रदर्श क–2 में पीपल के पेड़ का उल्लेख नही है तथा इस तथ्य का विवेचक द्वारा भी खण्डन किया गया है। इससे घटनास्थल की स्थिति ही संदिग्ध हो जाती है।

वादी मुकदमा/PW-1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मैंने ममता के घर के कमरे को नहीं देखा क्योकि वह चारो तरफ से बंद था। ममता का कमरा बिचपुरी में, मेन रोड पर पीपल का पेड़ है, उसके दाहिने हाथ की तरफ है।*

प्रथम विवेचक/साक्षी PW-4, जिनके द्वारा घटनास्थल की नक्शा–नजरी प्रदर्श क–2 बनायी गयी व न्यायालय के समक्ष सिद्ध की गयी, द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *घटनास्थल के आस–पास कोई पीपल का पेड़ नहीं है।*

वादी मुकदमा व प्रथम विवेचक के उपरोक्त कथनो के आलोक में, घटनास्थल की अवस्थिति संदिग्ध पायी जाती है।

(v). प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में, प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत धर्मग्रन्थ Bible की पुस्तक की बरामदगी संदिग्ध है।

तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा द्वारा इस आशय का उल्लेख है कि *धर्म परिवर्तन कराने वाले 8 लोग व अभिषेक गुप्ता के हाथ में Bible प्राप्त हुई है,*

साक्षी PW-1 के अनुसार, *यह कहना गलत है कि मेरी FIR में यह लिखा है कि 8 लोगो से Bible बरामद हुई। ऐसी बात मैंने तहरीर में लिखी है। वादी को तहरीर दिखाकर सामना कराया गया, जहॉ पर लाल दायरा "X" में यह बात (धर्म परिवर्तन कराने वाले 8 लोग व अभिषेक गुप्ता के हाथ में Bible प्राप्त हुई) लिखी है, जिसके पश्चात वादी ने कहा कि अभिषेक गुप्ता व कुन्दन लाल से Bible मिली थी। वो Bible अभिषेक गुप्ता से मुझे कभी नहीं मिली। खुद कहा कि Bible पुलिस वालो ने मेरे सामने दिनांक 29.05.22 को, लगभग 11:00–11:30 बजे ली थी.....हमें या किसी को, किन्ही 8 लोगो से, दिनांक 29.05.22 को, कोई Bible नहीं मिली..... मौके पर पुलिस ने Bible को मेरे सामने बरामद किया था। ये कहना गलत है कि पुलिस ने मौके पर एक भी Bible Seize न की हो।*

साक्षी PW-2 के अनुसार, *उसी दिन दिनांक 29.05.22 को पुलिस ने मौके से 2 Bible बरामद कर, सीज की थी।*

साक्षी PW-3 के अनुसार, *जिस कथित किताब को अभिषेक गुप्ता के हाथ में होना बता रहा हूँ उसे मैंने खोलकर नहीं देखा, न ही उसे आज अदालत में देख रहा हूँ।*

प्रथम विवेचक/साक्षी PW-4, द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मेरे द्वारा अभिषेक से इस मुकदमें के सिलसिले में कोई बरामदगी नहीं की गयी।*

द्वितीय/अन्तिम विवेचक/साक्षी PW-8, द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि *दिनांक 05.10.22 को CD-8 किता किया, जिसमें मजीद बयान हिमांशू पटेल तथा चश्मदीद गवाह रविन्द्र कुमार व राजीव, अंकित किये तथा एक किता किताब पवित्र Bible कब्जे में ली गयी.....पत्रावली पर शामिल कागज संख्या–6क, जो एक किता किताब पवित्र Bible की फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया.....Bible किताब पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया।*

द्वितीय/अन्तिम विवेचक/साक्षी PW-8, द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मुकदमा में बरामद Bible मुझे वादी मुकदमा के मित्र के द्वारा विवेचना के दौरान दी गयी थी। Bible मेरी Seal से Seal हुयी थी।*

पवित्र धर्मग्रन्थ Bible की बरामदगी सम्बंधी फर्द/प्रदर्श क–5, दिनांकित 05.10.22 के अवलोकन से विदित होता है कि उस पर अभियुक्तगण में से किसी के हस्ताक्षर नहीं है, अपितु वादी मुकदमा हिमांशू पटेल तथा दो साक्षीगण रविन्द्र कुमार व राजीव तथा विवेचक रजनीश कुमार तिवारी के हस्ताक्षर है।

इस प्रकार, जहॉ वादी मुकदमा व तथ्य के साक्षीगण द्वारा घटना की तिथि, दिनांक 29.05.22 को ही घटनास्थल से अभियुक्त अभिषेक गुप्ता के पास से पवित्र धर्मग्रन्थ Bible की बरामदगी का कथन किया गया है, वहीं प्रथम विवेचक का कथन है कि घटना की तिथि पर कोई बरामदगी नहीं हुयी थी तथा अभियुक्त अभिषेक गुप्ता के पास से भी गिरफतारी के समय कोई बरामदगी नहीं हुई। द्वितीय

विवेचक द्वारा कथन किया गया है कि वादी मुकदमा के मित्र द्वारा विवेचना के दौरान बरामद Bible उसे दी गयी।

यहॉ यह भी ध्यातव्य है कि जहॉ वादी मुकदमा/साक्षी PW-1 द्वारा कुल 9 Bible की पुस्तक बरामद होने का कथन किया गया है, वहीं साक्षी PW-2 द्वारा घटनास्थल से 2 Bible की पुस्तक बरामद होने का कथन किया गया है।

विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की ओर से, उपलब्ध करायी गयी पवित्र धर्मग्रन्थ Bible पुस्तक की बरामदगी बताया जाना स्वयं में आपत्तिजनक है। वस्तुतः उक्त बरामदगी अभियुक्त से नहीं, अपितु वादी मुकदमा से हुई है, जो पूर्णतः विधिविरूद्ध है। इस प्रकार, उपरोक्त घोर अन्तर्विरोध से परिपूर्ण कथन के आलोक में, पवित्र धर्मग्रन्थ Bible की बरामदगी पूर्णतः संदिग्ध हो जाती है।

इस प्रकार, उपरोक्त बिन्दुओ के अधीन किये गये विश्लेषण के आलोक में, तहरीर, प्राथमिकी, गिरफतारी, बरामदगी, घटनास्थल, आदि विवेचना सम्बंधी महत्वपूर्ण कारक, नितांत संदिग्ध पाये गये है, जिसके दृष्टिगत न तो आरोपित अपराध सम्बंधी घटना की पुष्टि होती है और न ही उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता ही सिद्ध पायी जाती है।

<u>तृतीय अवधार्य बिन्दु का निस्तारण</u>

तृतीय अवधार्य बिन्दु इस आशय का विनिर्धारित है कि **क्या अभियोजन पक्ष, आरोपित अपराध को, अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है ?**

प्रथम अवधार्य बिन्दु के अधीन किये गये विश्लेषण के आलोक में, प्रस्तुत प्रकरण में, वादी मुकदमा को तहरीरी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु, अप्राधिकृत व अपात्र पाया गया। तद्नुसार उसके द्वारा तहरीरी प्रार्थनापत्र के आधार पर, दर्ज प्राथमिकी शून्य व निष्प्रभावी पायी गयी।

द्वितीय अवधार्य बिन्दु के अधीन, साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में, अभियोजन कथानक का विश्लेषण किया गया, जिसमें तहरीर, प्राथमिकी, गिरफतारी, बरामदगी, घटनास्थल, आदि विवेचना सम्बंधी महत्वपूर्ण घटक, सिद्ध नहीं पाये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में, तत्कालीन थानाध्यक्ष, बिथरी चैनपुर, बरेली का दायित्व था कि प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व वह इस आशय का परीक्षण करते कि वादी हिमांशू पटेल तहरीर देने हेतु विधितः प्राधिकृत है अथवा नहीं। तत्पश्चात पुलिस द्वारा कथित घटनास्थल पर की गयी कथित कार्यवाही का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। घटनास्थल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं गिरफतार हुआ, जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु प्रेरित किया जा रहा हो अथवा तत्सम्बंधी प्रयास किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त विवेचना के दौरान, विवेचक द्वारा ऐसा किसी व्यक्ति को परीक्षित नहीं किया गया, जिसे धर्म परिवर्तन हेतु प्रेरित किया गया रहा हो या तत्सम्बंधी प्रयास किया गया रहा हो। घटनास्थल से अभियोजन कथानक के अनुसार ही पवित्र धर्मग्रन्थ Bible की पुस्तक, आदि की कोई बरामदगी नहीं हुई। विवेचक द्वारा, वादी मुकदमा की ओर से उपलब्ध कराये गये, पवित्र धर्मग्रन्थ Bible की पुस्तक की बरामदगी

बतायी गयी है, विवेचक द्वारा वादी हिमांशू पटेल से यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि उसके पास उक्त पुस्तक आयी कहॉ से थी। अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की गिरफतारी दिनांक 07.10.2022 को दर्शित की गयी है तथा उसकी जेब से 100 रूपये का नोट बरामद दिखाया गया है। सम्पूर्ण विवेचना में यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि वादी मुकदमा हिमांशू पटेल की सूचना का स्रोत क्या था। तथ्य के समस्त साक्षीगण कथित घटनास्थल से लगभग 10 किमी दूर के निवासी है। कथित घटनास्थल के निकटवर्ती निवासियो/पड़ोसियो के नाम का उल्लेख मात्र भी विवेचक द्वारा नहीं किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के बारे में, अपने निहित स्वार्थ के तुष्टिकरण हेतु, प्राथमिकी दर्ज कर, आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करा सकता है। पुलिस विवेचना के नाम पर, कभी भी, किसी भी समय गिरफतारी दिखा सकती है तथा 100 रूपये का नोट ही सही, कुछ भी बरामदगी दिखा सकती है। स्वीकृत रूप से प्रस्तुत प्रकरण में, अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की न केवल नौकरी चली गयी, अपितु उसे आर्थिक व सामाजिक हानि भी झेलना पड़ा। अभियुक्त कुन्दन लाल को तो किसी भी साक्षी द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित भी नहीं बताया गया है, वह वांछित भी नहीं था, फिर भी उसे कथित रूप से अभियुक्त अभिषेक गुप्ता के कथित खुलासे पर गिरफतार किया गया। स्पष्ट है कि वादी मुकदमा सदृश व्यक्तियों की प्रचार लालसा हेतु की गयी शिकायतो पर, किसी दबाव के अधीन, पुलिस द्वारा कार्य किया गया तथा निराधार व निर्मूल मनगढ़ंत व कपोल–कल्पित कथानक को विधिकस्वरूप प्रदान करने का विफल प्रयास करते हुए, कार्यवाही की गयी, जिससे न केवल पुलिस, अपितु न्यायालय का भी बहुमूल्य समय, श्रम व धन नष्ट हुआ। वास्तव में इस पूरे प्रकरण में वादी मुकदमा, तथ्य के साक्षीगण, पुलिसकर्मीगण, जिनमें प्राथमिकी हेतु निर्देशित करने वाले थानाध्यक्ष, विवेचक व आरोपपत्र को अनुमोदित करने वाले क्षेत्राधिकारी सम्मिलित हैं, ही वास्तविक दोषी है, जिनके सामूहिक प्रयास से 2 व्यक्तियो/अभियुक्तगण को अपूर्णनीय क्षति कारित हुई।

इस प्रकार, उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021(3) सन्देह से परे सिद्ध करने में विफल पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण अभिषेक गुप्ता तथा कुन्दन लाल, आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण अभिषेक गुप्ता तथा कुन्दन लाल को, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (3) से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानत पत्र व बंध पत्र निरस्त किये जाते है व प्रतिभूगण को उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण धारा 437ए द0प्र0सं0 के अंतर्गत मुब0 20,000–20,000/रूपये के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत करें, जो निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में दिये गये प्रेक्षणो के आलोक में, वादी मुकदमा हिमांशू पटेल व तथ्य के अन्य साक्षीगण अरविन्द कुमार, देवेन्द्र सिंह तथा रविन्द्र कुमार, प्राथमिकी हेतु उत्तरदायी तत्कालीन थानाध्यक्ष बिथरी चैनपुर, बरेली, विवेचकगण व आरोपपत्र के अनुमोदनकर्ता क्षेत्राधिकारी के विरूद्ध यथोचित विधिक कार्यवाही करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की नितांत फर्जी कार्यवाही से सभ्य समाज के सदस्यो की सुरक्षा सम्भव हो सके। निर्णय की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, जिलाधिकारी, बरेली तथा प्रमुख सचिव (गृह) उ0प्र0 शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

अभियुक्तगण के पास विकल्प है कि इस निर्णय में दिये गये प्रेक्षणो के आलोक में, वादी मुकदमा हिमांशू पटेल व तथ्य के अन्य साक्षीगण अरविन्द कुमार, देवेन्द्र सिंह तथा रविन्द्र कुमार व दोषी पुलिसकर्मियो के विरूद्ध दुर्भावनापूर्ण दाण्डिक अभियोजन (Malicious Prosecution) हेतु समुचित सिविल वाद के माध्यम से, यथोचित प्रतिकर का दावा कर सकते है।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
दिनांक–30.07.2024 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–14, बरेली

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
दिनांक–30.07.2024 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–14, बरेली

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2024.07.31 10:38:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court